0755-2775768

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./F-26/कालेज–19-20/2474/2019, भोपाल, दिनाँक 6 /09/2019

आवश्यक / स्पीड–पोस्ट

प्रति,

1. आयुक्त,
   चिकित्सा शिक्षा विभाग,
   मध्यप्रदेश, भोपाल
2. समस्त संभागायुक्त,
   संभाग ....
   मध्यप्रदेश ....
3. समस्त कलेक्टर,
   जिला..........
   मध्यप्रदेश
4. समस्त अधिष्ठाता,
   शा. चिकित्सा महाविद्यालय,
   .... मध्यप्रदेश
5. समस्त प्रधानाचार्य,
   आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)
6. समस्त प्राचार्य,
   पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट .... मध्यप्रदेश

विषय :– **शासकीय स्वशासी एवं निजी पैरामेडिकल संस्थाओं में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का वार्षिक शुल्क ।**

सन्दर्भ :– **शासनादेश क्र. एफ–5–14/18/1/55 चि.शि. भोपाल दिनाँक 24 मई, 2018 की कंडिका 02 के परिपालन में ।**

उपरोक्त सन्दर्भित आदेश की कंडिका क्र. 02 के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय, स्वशासी एवं निजी पैरामेडिकल संस्थाओं में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाता है :–

स.क्र.	पाठ्यक्रम	वार्षिक शुल्क (रू.)
1.	स्नातकोत्तर (पी.जी.)	1,07,400
2.	डिग्री (3 से 4 वर्षीय)	60,150
3.	डिप्लोमा (2 वर्षीय)	38,670
4.	प्रमाण–पत्र (1 वर्षीय)	27,930

2. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी होगी, जिसे निकटतम 10 के पूर्णांक में निर्धारित किया जाएगा ।

निरन्तर पृ.क्र. 2 पर....